



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 25.01.2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक सजा व 05-05 सौ रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-101/1999 धारा 323,504 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्तगण 1. बालचन्द्र पुत्र सुखलाल, 2. बिरजू पुत्र लालचन्द्र व 3. छेदी पुत्र लालचन्द्र निवासी – बरई, थाना-चौबेपुर, जनपद-वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-06 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक सजा व प्रत्येक अभियुक्त को 05-05 सौ रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी